भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DV 440977

न्यास–पत्र

1. न्यास का नाम : प्रियंका एजूकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट
2. न्यास का पता : मो0–मतापुर (नियर–पटेल धर्मशाला), पोस्ट–कचहरी, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर।
3. न्यास का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत।
4. न्यास का उद्देश्य :

परोपकारी भावना से सार्वजनिक कल्याण अर्थात जाति लिंग आदि की भावना से परे शिक्षा के उद्देश्य के लिये तथा शिक्षा के माध्यम से मानवता की सेवा के उद्देश्य से जन साधारण व निर्बल व्यक्तियों के अपने निरिह बच्चों के पढ़ाई–लिखाई हेतु उपलब्ध होगा। बेरोजगार निर्धन एवं जरूरतमंद छात्र–छात्राओं के शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना तथा विशेष रूप से उन छात्र–छात्राओं को जिनके अभिभावक अपनी निर्धनता व आर्थिक दृष्टि से अपने बच्चों को चाहते हुये भी अपनी निर्धनता से अपने बच्चों को शिक्षा दे सकने में मजबूर हैं उनकी इस परिस्थितियों में उनकी मदद करना ही इस न्यास का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के परिपेक्ष्य में उन बच्चों को चिकित्सकीय शिक्षा दिलाकर उन्हें आत्म–निर्भर कराना और शैक्षणिक पठन–पाठन के लिये उनके अपने घर से विद्यालय तक आने जाने की व्यवस्था करना व पुस्तकें आदि भी उपलब्ध कराना। बच्चों के सर्वांगीण उत्थान व विकास के लिये पिछड़े वर्गों के लिये प्रस्तुत न्यास का उद्देश्य प्रबल रूप से स्थायी रहेगा।

5. न्यास के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व न्यासीगण के नाम व यदा जिनको न्यास के इस स्मृति–पत्र तथा नियमों के अनुसार न्यास का कार्यभार सौंपा गया।

Priyanka Singh

क्रमांक......2649......स्टाम्प विक्रय की तिथि...17-7-18

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.........स्टाम्प की धनराशि...100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...प्रियंका सिंह प०नि० अजीत कुमार सिंह [illegible] हवेली सदर जौनपुर

आलोक कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं० 8
दीवानी कचहरी जौनपुर

SENIOR TREASURY OFFICER
20 JUN 2019
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DV 440978

क्र.सं.	नाम	पिता / पति का नाम	पद	पता
1	प्रियंका सिंह	अजीत कुमार सिंह	प्रबंधक / अध्यक्ष	मो0–मतापुर (नियर–पटेल धर्मशाला), पोस्ट–कचहरी, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर।
2	अजीत कुमार सिंह	श्रीलाल साहब सिंह	सहप्रबंधक / सअध्यक्ष व कोषाध्यक्ष	मो0–मतापुर (नियर–पटेल धर्मशाला), पोस्ट–कचहरी, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर।
3	लाल साहब सिंह	श्री रामअकबाल सिंह	सदस्य	ग्राम–बस्ती बन्दगान, पोस्ट–पोटरिया, जिला–जौनपुर

6. सम्पत्ति :

प्रबन्ध कार्य कारिणी समिति व न्यासीगण मु0 25000/– धनराशि नकद पर न्यास की स्थापना कर रहा है। भविष्य में दान, क्रय तथा पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी। इस प्रकार न्यास की वर्तमान में चल सम्पत्ति का कुल मु0 25000/– (पचीस हजार रूपया) होता है जिस पर स्टाम्प शुल्क 1000/– (एक हजार) रूपया अदा किया जाता है एवं सेटलर न्यासीगण परोपकारी भावना से उपरोक्त घनराशि का एक सार्वजनिक परोपकारी न्यास बनाने के उद्देश्य से बनाने के लिये इच्छुक हैं एवं न्यासीगण इस न्यास के प्रथम न्यासीगण बनने की सहमति हो गये हैं जैसा की इस न्यास लेख–पत्र के निष्पादन हेतु उनके पक्षकार बनने से स्पष्ट है।

Priyanka Singh

क्रमांक......2650..........स्टाम्प विक्रय की तिथि...17-7-18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........स्टाम्प की धनराशि...100

न्यास पत्र

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता....

प्रतिफल- 25000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

SENIOR TREASURY OFFICER 20 JUN 2018 [illegible]

श्रीमती प्रियंका सिंह ,
पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: मतापुर नियर पटेल धर्मशाला, पो0 कचहरी तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 01/08/2018 एवं 02:47:37 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

Priyanka Singh

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक :सदर
जौनपुर
01/08/2018

जौनपुर सदर लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

अंकित श्रीवास्तव
नि०लि०

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर
DV 440979
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7. न्यास कोष का उपयोग निम्न उद्देश्य हेतु किया जायेगा–

अ. बेरोजगार, निर्धन एवं जरूरतमंद छात्र–छात्राओं को शैक्षिक प्रशिक्षण एवं सहायता देना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलना तथा प्रबन्ध संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना। सिलाई–कढ़ाई आदि के लिये संस्थान उक्त के सम्बन्ध में खोलना एवं छात्र–छात्राओं को शैक्षिक प्रशिक्षण देना एवं इंजिनियरिंग एवं तकनीकी शिक्षा जिसके अन्तर्गत पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेज, फार्मेसी कालेज, शिक्षण संस्थान खोलना एवं प्रबंध करना एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू करना, डिग्री कालेज खोलना विधि कालेज खोलना, एलोपैथिक मेडिकल कालेज आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, होमियोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना तथा इन कालेजों के संचालन हेतु मानक के अनुरूप अस्पताल का निर्माण शिक्षण संस्थान का निर्माण शिक्षण संस्थान का नियंत्रण करना तथा उन्हें संचालित करना एवं कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, बीटीसी संस्थान, महिला महाविद्यालय पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, वाणिज्य तथा संगीत एवं नाट्य महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना।

ब. तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलना एवं प्रबन्ध करना।

स. नर्सिंग क्लासेज, पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना करना तथा इन संस्थानों के संचालन हेतु मानक के अनुरूप संस्थानों का निर्माण करना तथा उन्हें संचालित करना।

द. वाचनालय कक्ष, पुस्तक संग्रहालय तथा शैक्षिक या सांस्कृतिक शिविर का प्रबन्ध या उसकी सहायता करना तथा इस प्रकार के संस्थानों तथा शिविरों को समर्थन देना।

Priyanka Singh

—2651 ....लेखपत्र निष्पादन की तिथि 12-7-18
.... की तारीख 100

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

SENIOR TREASURY OFFICER
20 JUN 2018
JAUNPUR

न्यासी: 1 नि0 पं0 2649

श्रीमती प्रियंका सिंह, पत्नी श्री अजीत कुमार सिंह
निवासी: मतापुर नियर पटेल धर्मशाला, पो0 कचहरी
तह0 सदर जि0 जौनपुर
व्यवसाय: गृहिणी Priyanka Singh

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री रितेश कुमार सिंह, पुत्र श्री राजनरायन सिंह
निवासी: जमीन बस्ती पो0 पोटरिया तह0 शाहगंज
जि0 जौनपुर
व्यवसाय: कृषि रितेश कुमार सिंह

पहचानकर्ता : 2

श्री राजकुमार, पुत्र श्री सुरेश चन्द अग्रहरी
निवासी: लखौवाँ बाजार हवेली सदर जौनपुर
व्यवसाय: कृषि

Rajkumar

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
जौनपुर

जौनपुर सदर लिपिक
कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित

प्रिंट करें

अंकित श्रीवास्तव
नि०लि०

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

DV 440980

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

य. न्यास के उद्देश्यों के अनुसार विलालाभ अर्जित किये छात्रावासों, प्रेक्षाग्रहों, आडिटोरियम, म्यूजियम आदि का निर्माण करना एवं शैक्षिक समूहों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना।

र. छात्र–छात्राओं को जाति–धर्म, समुदाय, वर्ग या लिंग का भेदभाव किये बिना निर्धन जरूरतमंद एवं योग्य छात्र–छात्राओं को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

ल. शैक्षिक उद्देश्यों से स्थापित संस्थानों को नगद अनुदान देना एवं पुस्तकीय एवं शैक्षणिक सामग्री या अन्य किसी रूप में दान देना।

व. न्यास के निर्गत उद्देश्यों के अन्तर्गत प्राप्त हेतु भूमि अधिग्रहित करना या निर्माण बनवाना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु कोष एकत्रित करना।

श. यह कि न्यास के उत्थान हेतु आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार न्यास के पदाधिकारियों व अन्य न्यासीगण के मत से यदि न्यास की किसी भूमि को विक्रय करने की जरूरत पड़े और उस धन से न्यास का उत्थान हो तो उसे अमल में लावे और उस प्राप्त भूमि से जो धन प्राप्त हो, निष्ठा से न्यास के लिये उपयोग करे।

ष. यह कि न्यास के लिये यदि भूमि की आवश्यकता पड़े तो उसे नियमानुसार क्रय करे।

स. अच्छे विचारों व साहित्यों को पैफलेट, बुकलेट तथा पुस्तकों आदि के प्रकाशन द्वारा या संगोष्ठियों द्वारा, सभाओं, कार्यशालाओं द्वारा बिना लाभार्जन प्रसारित करे।

ह. विकलांग बच्चों हेतु अन्ध विद्यालय, मूकबाधिर विद्यालय तथा विकलांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन करना।

Priyanka Singh

क्रम — 2652 स्टाम्प विक्रय की तिथि 17-7-18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... ले०प० 2649

आनन्द कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता ला० नं० 8
दिवानी कचहरी जौनपुर
हस्ताक्षर ....

SENIOR TREASURY OFFICER
20 JUN 2018
JAUNPUR

Priyanka Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार गोरखपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DV 440981

क्ष. चिकित्सकीय सहायता में ऐसे सभी कार्य जिससे निर्धनों की सहायता होती रहे करना।

त्र. भारतीय न्यास अधिनियम के अनुसार जनसाधारण, सरकार द्वारा पंजीकृत समितियों, संगठनों से नकद धन तथा नकद दान तथा चल अचल सम्पत्ति या ऐसी सम्पत्तियों में अधिकार उन शर्तो पर प्राप्त करना जो कि अध्यक्ष/प्रबन्धक न्यास के उद्देश्य हेतू उचित समझते हों।

ज्ञ. अध्यक्ष/प्रबन्धक की अनुमति से न्यास के सभी या किसी उद्देश्य हेतु बिल्डिंग बनवाना।

क. न्यास के लिये किसी सम्पत्ति को खरीदना व न्यास की सम्पत्ति को न्यास के उद्देश्यों के हित में बेचने का अधिकार व सुधारना, प्रबन्धन करना, अदला-बदली करना, लीज पर देना, मारगेज करना का अधिकार न्यास के अध्यक्ष/प्रबन्धक को होगा।

ख. अन्य विधिक कार्यों गतिविधियों तथा लेख पत्रों जिसे न्यासीगण उचित समझते हों से सामान्य रूप से निष्पादित करना।

8. उपरोक्त के अलावा एतदद्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (जी) या उसमें समय-समय पर किया गया संशोधन पुर्नअधिनियम प्रभावी होगा जिसके द्वारा दान-दाताओं को आयकर से अलग रखा जायेगा या छूट मिलेगी। किसी वर्ष या वर्षों में उपरोक्त आय का यदि कोई अतिरिक्त और उपयोग न किया गया भाग बचता है तो उसे निवेश कर दिया जायेगा और उसे समय-समय पर प्राप्त आय को ऐसे निवेश में लगाया जायेगा जिसमें एतदद्वारा न्यास कोष को निवेशित करने हेतु निर्देशित एवं अधिकृत किया गया है और न्यासीगण को उसे उसी तरीके पर एवं उसी सीमा तक खर्च करने और उपयोग करने का अधिकार होगा।

9. ऊपर तय किये गये लक्ष्य एवं उद्देश्यों को वहन करने तमें न्यासीगण के लिये यह वैद्य होगा कि वे स्वतंत्रतापूर्वक न्यास कोष या उसकी आय को अपने विवके से उन नियमों व शर्तों पर जिसे वे उचित समझते हों कार्य करें व खर्चों में सहयोगी बने।

Priyanka Singh

क्रमांक ...2653... स्टाम्प विक्रय की तिथि ...17-7-18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि. 100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ...... [illegible] 2649

[illegible]
स्टाम्प [illegible]
[illegible]

SENIOR TREASURY OFFICER
20 JUN [illegible]
JAUNPUR

Priyanka Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 440982

10. न्यास के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ती में न्यास निम्नलिखित कर सकता है–

क. न्यास कोष या उसके किसी भाग को न्यास बनाने में या उससे सम्बन्धित प्रबन्धन व प्रशासन में होने वाले खर्चे को देना, जिसमें सभी प्रकार के किराये, कर तथा कर्मचाारियों का वेतन का भुगतान तथा तकनीकी प्रोफेसरों आदि का भुगतान या कम्पनियों का भुगतान जो शैक्षिक निर्देशन एवं सहायता देती हो।

ख. उपरोक्त उद्देश्यों हेतु ऐसे लेख पत्र पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना तथा वादा करना, जैसा की आवश्यक हो।

ग. न्यासीगण या किसी न्यासी को न्यास की सम्पत्ति का बीमा कराने का अधिकार होगा किन्तु किसी न्यासी पर किसी सम्पत्ति को बीमा कराने से छूट गई हो को नुकसान पहुंचने पर किसी प्रकार की उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नही होगी।

घ. कोई भी न्यासी या पदाधिकारी कभी भी किसी भी पारिश्रमिक वेतन या लाभ का अधिकारी नहीं होगा।

ङ. अपने जीवन काल तक स्थायी होंगे तथा उपरोक्त स्थायी न्यासी में से किसी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जो स्थायी न्यासी बचेंगे वे अपने विवके से अपने परिवार के ही किसी सदस्य को स्थायी न्यासी पदाधिकारी का चयन करेंगे।

11. न्यास का संचालन– प्रियंका एजूकेशनल एण्ड पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट ~~ओम साई राम शैक्षिक न्यास~~ का संचालन करने के लिये क्रमश: अध्यक्ष / प्रबन्धक, सहअध्यक्ष / सहप्रबन्धक और सदस्यगण ट्रस्टी रहेंगे।

Priyanka Singh

क्रमांक ......2654...... स्टाम्प विक्रय की तिथि 12-2-18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... सा०न० 2649

आशुतोष कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस नं० 8
दीवानी कचहरी जौनपुर
क्रमांक

SENIOR TREASURY OFFICER
20 JUN 2018
JAUN[illegible]R

Priyanka Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 440983

1. अध्यक्ष/प्रबन्धक को न्यास के नाम से बैंक में खाता खोलने, देख रेख करने, खाते को संचालित करने का अधिकार होगा। जैसा कि वे समय–समय पर न्यास कोष से सम्बन्ध किसी भाग या उसकी आय को फिक्स डिपोजिट करने या चालू खाता खोलने का निर्णय करेंगे। जिसका संचालन अध्यक्ष/प्रबन्धक कर सकते हैं। फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में उपरोक्त न्यासी अध्यक्ष/प्रबन्धक उपलब्ध नही हैं तो उक्त खाते का संचालन उक्त अवधि में सहअध्यक्ष/सहप्रबन्धक द्वारा संचालित किया जा सकता है।

2. उपरोक्त न्यास में न्यासीगण/ट्रस्टीगण शब्द का आशय अध्यक्ष/प्रबन्धक, सहअध्यक्ष/सह प्रबन्धक व सदस्यगणों व कोषाध्यक्ष से है।

3. कालान्तर में न्यास के उत्तराधिकारी वही होंगे जो अध्यक्ष/प्रबन्धक व सहअध्यक्ष/सहप्रबन्धक के विधिक उत्तराधिकारी है।

4. न्यास के बैठक का संचालन की अध्यक्षता न्यास का अध्यक्ष/प्रबन्धक या सहअध्यक्ष/सहप्रबन्धक करेगा।

5. न्यास के सदस्यगणों की नियुक्ति व हटाने का अधिकार न्यास के अध्यक्ष/प्रबन्धक को होगा।

6. न्यास अपने हित में किसी भी नये नियम का निर्माण कर सकती है या जो न्यास के हित के वि☺ हैं उन पुराने नियमों को समाप्त कर सकती है। नये नियम का निर्माण व पुराने नियम को समाप्त करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रबन्धक का होगा।

Priyanka Singh

क्रमांक 2655 स्टाम्प विक्रय की तिथि 17-7-18

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... ला० 070 2649

SENIOR TREASURY OFFICER

20 JUN 2018

JA... UR

Priyanka Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DV 440984

7. किसी कार्य को करने या किये जाने की अनुमति दिये जाने या न्यास के प्रकाशन में या अधिकारों के बारे में या न्यास के किसी खण्ड या वाक्यांश के सच्चे आशय या अभिप्राय के सम्बन्ध में न्यासीगण में मत भिन्नता होने पर उसको न्यासीगण के बहुमत के विचार द्वारा निपटाया जायेगा तथा न्यासीगण के समान रूप से विमक्त होने की सिथति में अध्यक्ष/प्रबन्धक को मत देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष/प्रबन्धक के मत से युक्त अध्यक्ष/प्रबन्धक का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा।

8. समय–समय पर न्यास के लक्ष्यों, उद्देश्यों प्रशासन तथा प्रबन्धन तथा न्यास से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में अध्यक्ष/प्रबन्धक को आडिट, आर्किटेक्ट, सर्वेपर, एकाउनटेन्ट, वैल्यूर, सालीसिटर, चार्टटर्ड एराउनटेन्ट, मैनेजर, सचिवों, पर्यवेक्षकों, शिक्षकों तथा लिपिकों तथा आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने का तथा हटाने का व उन्हें इस प्रकार का शुल्क या विशेष पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा की समय–समय पर अपने निर्बाध विवके से उपर्युक्त समझे भुगतान करने का अधिकार होगा।

9. अध्यक्ष/प्रबन्धक, न्यासीगण में से किसी एक को न्यायालय, ट्रिबुनल, प्राधिकारी या निकाय के समक्ष चल रही कार्यवाही में न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त कर सकते है।

10. न्यासीगण न्यास के एकाउंट का आडिट करायेंगे तथा भारतीय न्यास अधिनियम या अन्य लागू होने वाले अधिनियमों के प्राविधानों या उसके संशोधनों का पालन करेंगे।

Priyanka Singh

क्रमांक 2656 स्टाम्प विक्रय की तिथि 17-7-18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... [illegible] 2649

श्याम सुन्दर सिंह
स्टाम्प विक्रेता [illegible]
दिवानी कचहरी जौनपुर
[illegible]

SENIOR TREASURY OFFICER
★ 20 JUN 2018 ★
JAUNPUR

Priyanka Singh

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
DV 440985

11. न्यासीगण की प्रत्येक मिटिंग की कार्यवाही का सारांश उस उद्देश्य हेतु रखी गई सारांश पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा और उस मीटिंग या अनुगामी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा उस हस्ताक्षर किया जायेगा और जब उक्त पुस्तिका इस प्रकार से दर्ज व हस्ताक्षरित हो जायेगी त बवह वहां पर किये गये कार्य या कार्यवाही की निर्णायक साक्ष्य होगी।

12. अध्यक्ष/प्रबन्धक को कुछ समय के लिये न्यास हेतु अतिरिक्त न्यासीगण की नियुक्ति एक बार में अधिकतम तीन वर्ष की अवधि हेतु जैसा की न्यासीगण आवश्यक मानते हो करने का अधिकार होगा किन्तु एक समय पर न्यासीगण की संख्या 12 से अधिक नहीं होगी।

13. किसी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर किन्हीं कारणवश किसी न्यासी के न्यास से त्याग–पत्र देने की स्थिति में अध्यक्ष/प्रबन्धक को इस प्रकार से मृत्यु या त्याग पत्र देने वाले न्यासी के स्थान पर नये न्यासी की नियुक्ति का अधिकार होगा।

14. न्यास की मीटिंग/बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष/प्रबन्धक करेगा। अध्यक्ष/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में सहअध्यक्ष/ सहप्रबन्धक न्यास की बैठक का अध्यक्ष होगा। यदि किन्हीं कारणों से अध्यक्ष/प्रबन्धक या सहअध्यक्ष/सहप्रबन्धक मौजूद नही हैं और मीटिंग जरूरी है तो विशेष मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिये सदस्यगण अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष के लिये चुन सकते है। चुने गये अध्यक्ष के द्वारा उस विशेष मीटिंग में लिये गये निर्णय को क्रियान्वित

Priyanka Singh

क्रमांक 2651 स्टाम्प विक्रय की तिथि 12-7-18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible] 2649

आनन्द कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता [illegible]
दीवानी [illegible]
[illegible]

SENIOR TREASURY OFFICER
20 JUN
[illegible]

Priyanka Singh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(योगेन्द्र कुमार)
मुख्य रोकड़िया
कोषागार, जौनपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DV 440986

करने के पूर्व स्थायी अध्यक्ष/प्रबन्धक, सहअध्यक्ष/सहप्रबन्धक की अनुमति/अवगत कराना अनिवार्य है।

15. महत्वपूर्ण बहुमत के आधार पर होंगे। स्थापित न्यास अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन संग्रह देश–विदेश की आम जनता एवं संस्थाओं से चन्दे के रूप में एवं अनुदान के रूप में एवं अनुदान के रूप में प्राप्त करेगा, किसी प्रकार की भूमि, भवन व अन्य प्रकार का दान–पट्टा न्यास की हित में प्राप्त कर सकता है। न्यास सदैव सम्पत्ति का पारदर्शी हिसाब रखेगा तथा प्रतिवर्ष अधिकार प्राप्त लोगों से उसकी जांच करायेगा।

16. न्यास की बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से होगी तथा आवश्यकतानुसार अध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा सभी सहायक न्यासीगणों को दस दिन पूर्व सूचना देकर कभी भी बैठक आहूत की जा सकती है।

17. किसी भी नये न्यासी की नियुक्ति अध्यक्ष/प्रबन्धक की सहमति से किसी सुयोग्य व्यक्ति की उसकी न्यास के प्रति हित भावना को देखकर की जा सकती है।

18. उपरोक्त उद्देश्यों हेतु ऐसे लेख पत्र पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना तथा वादा करना, जैसा की आवश्यक हो को करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रबन्धक को होगा।

19. उपरोक्त न्यास से सम्बन्धित सभी प्रकार के निर्णय को अन्तिम रूप देने का अधिकार अध्यक्ष/प्रबन्धक को होगी तथा अध्यक्ष/प्रबन्धक

Priyanka Singh

क्रमांक 2658 स्टाम्प विक्रय की तारीख 17-7-18
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन .... स्टाम्प की धनराशि 100

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता .... ला० 2649

[illegible] कुमार सिंह
स्टाम्प विक्रेता लाइसेंस [illegible]
दीवानी कचहरी [illegible]
[illegible] ....

SENIOR TREASURY OFFICER
20 JUN 2018
[illegible] UR

Priyanka Singh

का निर्णय की अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा जो भी न्यासी, अध्यक्ष/प्रबन्धक के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं होगा, सन्तुष्ट न होने की स्थिति में उसका त्याग पत्र स्वतः ही समझा जायेगा।

20. उपरोक्त न्यास के अध्यक्ष/प्रबन्धक न्यास द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के भी अध्यक्ष/प्रबन्घक होंगे।

21. न्यास के सभी सदस्यों से न्यास के विषय में सहमति ले ली गई है।

22. इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्यास क्षेत्र जनपद जौनपुर उ0प्र0 होगा।

23. न्यास पत्र के रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही करवाने के लिए प्रबंधक/अध्यक्ष प्रियंका सिंह पत्नी अजीत कुमार सिंह निवासी मतापुर, निकट– पटेल धर्मशाला, पोस्ट–कचहरी, तहसील–सदर, जिला–जौनपुर उपस्थित है।

अतएव यह न्यास पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

गवाह शैलेश कुमार सिंह

शैलेश कुमार सिंह पुत्र राजनारायन सिंह जमीनवस्ती पोरथिया जौनपुर

गवाह

राजकुमार पुत्र स्व. सुरेश चन्द्र अग्रहरि ग्राम - लखौंवा बाजार पोस्ट - फतेगंज जिला - जौनपुर

Priyanka Singh

न्यास के पास वर्तमान मे कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।
नोट- पृष्ठ 6 के पंक्ति 20 में (ओम सांई राम शैक्षिक न्यास) कटाई व (प्रियंका एजूकेशनल 2005 पब्लिक वेलफेयर ट्रस्ट) ऊपर लिखा है।

Priyanka Sing
हस्ताक्षर

अध्यक्ष / प्रबंधक– श्रीमती प्रियंका सिंह

दिनांक 01/08/2018 ई॰

गवाह–

1– रीतेश कुमार सिंह पुत्र श्री राजनरायन सिंह
ग्राम–जमीनबस्ती, पोस्ट–पोटरिया, तहसील–शाहगंज जिला–जौनपुर

2– राजकुमार, पुत्र स्व0 सुरेशचन्द अग्रहरि
ग्राम–लखौवा बाजार, पोस्ट–फतेहगंज,
तहसील–सदर, जिला–जौनपुर

न्यास पत्र तैयार कर्ता– विवेक अस्थाना, एडवोकेट–कलेक्ट्री कचहरी, जौनपुर। विवेक 01/08/2018 ई॰

टाइप कर्ता– सुरेन्द्र कुमार सिंह S.K. Singh

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 136 के पृष्ठ 351 से 374 तक
क्रमांक 196 पर दिनाँक 01/08/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संतोष कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
जौनपुर
01/08/2018

प्रिंट करें

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर जौनपुर क्रम संख्या2018182016583

आवेदन संख्या 201800984008475

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2018-08-01 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम प्रियंका सिंह

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 25000 / 0

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 580

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2018-08-01 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2018-08-01 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर